

प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
विजनौर।

सेवा में,

प्रबंधक

इम्पीरियल इंटरनेशनल स्कूल,बुन्दकी रोड नजीबाबाद,ब्लाक—नजीबाबाद
जनपद—विजनौर।

पत्रांक/बेसिक/मान्यता/23&9-94 /2019-20

दिनांक 27/05/19

विषय:- निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2010 के नियम 15 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण—पत्र।

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषयक सूच्य है कि आपके आवेदन और इस संबंध में विद्यालय के साथ पश्चात्वर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रतिनिर्देश से, इम्पीरियल इंटरनेशनल स्कूल,बुन्दकी रोड नजीबाबाद,ब्लाक—नजीबाबाद (विजनौर) को दिनांक 01-04-2019 से दि 31-03-2022 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए अंग्रेजी माध्यम से कक्षा-1 से कक्षा-5 तक के लिए अनन्ति मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किए जाने के अध्यधीन हैं—

- 1 मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 5 के पश्चात् मान्यता/संबंधन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
- 2 विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (उपांध 1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2010 (उपांध 2) के उपबंधों का पालन करेगा।
- 3 विद्यालय कक्षा-1 में (या यथास्थिति, नरसरी कक्षा में), उस कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस-पड़ोस के कमज़ोर वर्गों और सुविधा-विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।
- 4 पैरा-3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूर्ति किया जाएगा। ऐसी प्रतिपूर्तियों प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खातारखेगा।
- 5 सासाइटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता-पिता या रांचक को किसी रक्किंग प्रक्रिया के अध्यधीन नहीं करेगा।
- 6 विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा—
 - (1) प्रवेश दिए गए किसी भी बालक को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक, किसी कक्षा में फेल नहीं किया जाएगा या उसे विद्यालय से निष्कारित नहीं किया जाएगा।
 - (2) किसी भी बालक को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीड़न के अध्यधीन नहीं किया जाएगा।
 - (3) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी;
 - (4) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किए गए अनुसार एक प्रमाण—पत्र प्रदान किया जाएगा;
 - (5) अधिनियम के उपांध के अनुसार निःशक्तिता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाएगा;
 - (6) अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है, परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक, जिनके पास इस अधिनियम के प्रारंभ पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं हैं, पैर्व वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेंगे;
 - (7) अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है, और
 - (8) अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन कियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।
- 7 विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यवर्ग के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।
- 8 विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविगिरिष्ट विद्यालय के मानकों और संनियमों को बनाए रखेगा।

- अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसुविधाएं निम्नानुसार हैं :—
- (1) विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल—10140 वर्ग मीटर
 - (2) कुल निर्मित क्षेत्र—2481 वर्ग मीटर
 - (3) कीड़ा—स्थल का क्षेत्रफल—
 - (4) कक्षाओं की संख्या—12
 - (5) प्राध्यापक—सह कार्यालय—सह भंडागार के लिए कक्ष—03
 - (6) बालक और बालिकाओं के लिए पृथक् शौचालय—उपलब्ध है।
 - (7) पेयजल सुविधा—उपलब्ध है।
 - (8) मिड-डे—गील पकाने के लिए रसोई—योजना लागू नहीं है।
 - (9) बाधा रहित पहुँच—है।
 - (10) अध्यापन पठन सामग्री/कीड़ा खेलकूद उपस्कर्ण/पुस्तकालय की उपलब्धता—उपलब्ध है।
- 9 विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलाई जाएंगी।
- 10 विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या कीड़ा—स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजन के लिए किया जायेगा।
- 11 विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।
- 12 रकूल को किसी व्यष्टि, व्यष्टियों के समूह या संगम या किन्ही अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।
- 13 विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टड एकाउंटेंट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किए जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।
- 14 आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्या.....58.....है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्यांक का उल्लेख करें।
- 15 विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय—समय पर शिक्षा निदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है, जो मान्यता संबंधी शर्तों के सतत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जाएं।
- 16 सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन के नवीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाए।

मवदीय

M

(महेश चन्द्र)

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
विजनौर

पृ० ५० बेसिक /

/ 2019-20

तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नालिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

- 1—अपर शिक्षा निदेशक(बेसिक), उ०प्र०, शिक्षा निदेशालय, प्रयागराज।
- 2—सचिव, उ०प्र०, बेसिक शिक्षा परिषद, प्रयागराज।
- 3—मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक(बेसिक), द्वादश मण्डल, गुरादाबाद।
- 4—जिला समाज कल्याण अधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी/जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, जनपद—विजनौर।
- 5—संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी, नगर/विकास क्षेत्र जनपद—विजनौर।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
विजनौर।

जिला वैसिक शिक्षा अधिकारी
विजनौर।

संयोग में

प्रबंधक

इम्पीरियल इन्टरनेशनल स्कूल, शाहजहाँपुर ब्लाक—नजीबाबाद
जनपद—विजनौर।

नियांक वैसिक / मान्यता / 15/100-105 / 2020-21

दिनांक 22/10/2020

प्रिय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 के नियम 15 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण-पत्र।

महादय/महोदया,

उपर्युक्त विषयक सूच्य है कि आपके आवेदन और इस संबंध में विद्यालय के साथ पश्चात्यवती पत्राचार / निरीक्षण के प्रतिनिर्देश से, मैं इम्पीरियल इन्टरनेशनल स्कूल, शाहजहाँपुर ब्लाक—नजीबाबाद (विजनौर) को दिनांक 1-4-2021 से दि 03-3-2022 तक 01 वर्ष की अवधि के लिए अग्रेजी माध्यम से कक्षा-6 से कक्षा-8 तक के लिए अनन्तिम मान्यता प्रदान करने में सम्मत हूँ।

उपरांक मजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किए जाने के अध्ययीन हैं। मान्यता की मजूरी विस्तारीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप से कक्षा 8 के पश्चात्य मान्यता संवधन करने के लिए कोई वाध्यता विवक्षित नहीं है।

विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (उपांक 1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 (उपांक 2) के उपबंधों का पालन करेगा।

विद्यालय कक्षा-6 में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस-पड़ोस के कमज़ोर वर्गों और सुविधा-विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य उच्च प्राथमिक शिक्षा उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।

परा-3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को ज्ञातिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्तियों प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खोता रखेगा।

सोसाइटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का रांगड़हण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता-पिता या संखक को किसी रक्कीनिंग प्रक्रिया के अध्ययीन नहीं करेगा।

विद्यालय किसी बालक को उच्चारी आँखु तक छह्याँ 3 लेने के काले उन्हें लेने ले हक्कावाले करने की ओर वह अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा—

- (1) प्रवेश दिए गए किसी भी बालक को विद्यालय में उसकी उच्च प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में कैल नहीं किया जाएगा या उसे विद्यालय से निकासित नहीं किया जाएगा।
 - (2) किसी भी बालक को शारीरिक ढड़ या धानरिक उत्पीड़न के अध्ययीन नहीं किया जाएगा।
 - (3) उच्च प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।
 - (4) उच्च प्राथमिक शिक्षा पूरी होने वाले प्रत्यक्ष बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किए गए अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा।
 - (5) अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जायेगा।
 - (6) अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है परन्तु यह और कि दिमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारंभ पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं हैं पौर्ण वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करें।
 - (7) अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है, और
 - (8) अध्यापक रख्य को किसी निजी अध्यापन कियाकलापों में नियोजित नहीं करें।
- विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यरूपों के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।
- विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विवरण के मानकों और समियनों की बनाए रखेगा।
- अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसुविधाएं निभानुसार हैं—
- (1) विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल—10000 वर्ग मीटर
 - (2) कुल निर्मित क्षेत्र—1717.49 वर्ग मीटर (प्रथम तल)
 - (3) कीड़ा—स्थल का क्षेत्रफल—3282.60 वर्ग मीटर
 - (4) कक्षाओं की संख्या—12
 - (5) प्राध्यापक—सह कार्यालय—सह भंडागार के लिए कक्ष 05
 - (6) बालक और सालिकाओं के लिए पृथक शोचालय—उपलब्ध है।
 - (7) पंथजल सुविधा—उपलब्ध है।
 - (8) मिड-डे मील पकाने के लिए रसाई धोजना लागू नहीं है।
 - (9) बालों रहित पहुँच है।
 - (10) अध्यापन पठन सामग्री/कीड़ा खेलकूद उपरकरों/पुस्तकालय की उपलब्धता—उपलब्ध है।

my

- 9 विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं बलई जायेगी।
- 10 विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या कौड़ा-खट्टल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजन के लिए किया जायेगा।
- 11 विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860(1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तप्तमय प्रवृत्ति किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्योस द्वारा बलाया जा रहा है।
- 12 स्कूल को किसी व्यष्टि-व्यष्टियों के समूह या समय या किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं बलाया जा रहा है।
- 13 विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टर एकाउटेट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उधित लेखा विवरण निधों के अनुसार तैयार किए जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला वेसिक शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।
- 14 आपके विद्यालय को आविट भान्यता कोड संख्या...02..... है। कृपया इसे ऑट कर ले और इस कांडालय साथ किसी पत्राचार के लिए इस संचायक का उल्लेख करें।
- 15 विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय-समय पर शिक्षा निदेशक/जिला वेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है जो मान्यता देशी शर्तों के सतत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जाएं।
- 16 सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन के नवीकरण यहि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाए।
- 17 विद्यालय में अंकों के अन्तरार्घट्टीय स्वरूप का प्रयोग किया जायेगा। हिन्दी अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ायी जायेगी।
- 18 विद्यालय में सभी वर्ग धर्म जाति के बच्चों को प्रवेश दिया जाना अनिवार्य होगा।
- 19 विद्यालय में दिव्यांग बच्चों की सुगम पहुँच हेतु भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा समय-2 पर निर्मित अधिनन शासनादेशों एवं मार्गदर्शी रिहान्तों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- 20 विद्यालय की स्थायी मान्यता हेतु 01 वर्ष के पश्चात निर्धारित प्रारूप पर सूचनाओं एवं संगत अभिलेखों सहित प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।
- 21 विद्यालय में प्रति छात्र 09 वर्ग फिट की दर से स्थान उपलब्ध होना चाहिए। विद्यालय में उतनी ही छात्र/छात्राओं का प्रवेश दिया जाय, जिनके बैठने की समुचित व्यवस्था निर्धारित मानक के अनुसार उपलब्ध हो।
- 22 विद्यालय प्रबन्धनत्र का यह दायित्व होगा कि वह प्रत्येक 02 वर्ष की अवधि के उपरान्त विद्यालय/शैक्षिक संस्था में स्थापित अग्नि सुरक्षा संबंधी सुरक्षा उपायों के पर्याप्त अद्यावधिक एवं कियाशील होने और भवन के पठन-पाठन लेन-लेपन एवं जर्जर न होने के सम्बन्ध में सक्षम तकनीकी विशेषज्ञों से प्रमाण पत्र प्राप्त करके जिला वेसिक शिक्षा अधिकारी/विजनौर को उपलब्ध कराया जाना सुनिएहता करेंगे। उक्तानुसार प्रमाण पत्र निर्धारित समयान्तरान् प्रत्यु एवं किये जाने की स्थिति में विद्यालय/शैक्षणिक संस्था की मान्यता प्रत्याहरण की संबंध में नियमानुसार कार्यवाही जी जायेगी।
- 23 विद्यालय/संस्था द्वारा प्रतिवर्ष विभाग द्वारा निर्धारित समय सारिणी के अनुसार यू-डायस+ से सबैत शूचनाये/आकड़े भरना अनिवार्य होगा।

भवदीय

म/२२/०८/२०
(महेश नंद)
जिला वेसिक शिक्षा अधिकारी
विजनौर।

पृष्ठांतरेशिक/

/2020-21 तदनिनंक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थी एवं डॉक्यूमेंट कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1-अपर शिक्षा निदेशक(विशिक) उ०प्र० शिक्षा निदेशक प्रयागराज।
- 2-संचिव उ०प्र० वेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज।
- 3-गण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक(विशिक), द्वादश मण्डल, मु. दायाद।
- 4-जिला समाज कल्याण अधिकारी/जिला अल्पसंख्याग कल्याण अधिकारी/जिला पिछडा वर्ग कल्याण अधिकारी जनपद-विजनौर।
- 5-संबंधित स्थान शिक्षा अधिकारी नगर/विकास क्षेत्र जनपद-विजनौर।

जिला वेसिक शिक्षा अधिकारी
विजनौर।


PRINCIPAL
Imperial International School
Najibabad (Bijnor)